न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 34/2017

अनवान :–

श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर 302005 (राजस्थान)

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री अनिरूद्ध अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल (खाद्य कारोबारकर्ता) मैसर्स आर–डी.फूड्स (छप्पन भोग), बीकानेर
2. श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर अग्रवाल(भागीदार) मैसर्स आर–डी. फूड्स (छप्पन भोग), बीकानेर
3. श्री विनीत अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल (खाद्य कारोबारकर्ता) मैसर्स आर–डी. फूड्स (छप्पन भोग), बीकानेर
4. मैसर्स आर–डी.फूड्स (छप्पन भोग), बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (v) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी

2– अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से – श्री संजीव राजवंशी अधिवक्ता

–: निर्णय :– **दिनांक 25.02.2019**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 23.10.2016 को अप्रार्थीपक्ष श्री अनिरूद्ध अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वप्रसाद अग्रवाल (खाद्य कारोबारकर्ता) मैसर्स– आर.डी. फूड्स, (छप्पन भोग), रानी बाजार, बीकानेर के यहां दुकान का निरीक्षण दौरान आम जनता को विक्रय हेतु रसगुल्ला (छप्पन भोग) के 80 पैक टिन (प्रत्येक टिन वजनी 1 किलो ग्राम) रखे हुए थे। तदन्तर अमानक/मिसब्राण्ड का शक होने पर संस्थान में रखे खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (छप्पन भोग) के 80 पैक टिन(प्रत्येक टिन वजनी 1 किलो ग्राम) में से 4 पैक टिन(प्रत्येक टिन वजनी 1 किलो ग्राम) वास्ते नमूना खरीद कर जिसकी कीमत खाद्य कारोबारकर्ता श्री अनिरूद्ध अग्रवाल को 600/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की एक प्रति कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। तदन्तर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान की उपस्थित में खरीदशुदा रसगुल्ला(छप्पन भोग) के चारों पैकेट के मूल पर लेबल तैयार कर लेबल चिपकाये और लेबलों पर स्टेट डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ईई–1012 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अनलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर स्टेट डीओ जयपुर की

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ईई– 1012 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये । उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS./3078/Act/ 2016/750 दिनांक 09.11.16 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छप्पन भोग) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड रसगुल्ला(छप्पन भोग)का निर्माण/विक्रय करके एफ.एस.एस.एस.ए. 2006 की 3(3)(Zf)(c)(i) सपठित FSS (पैंकिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2. 2(10) एवं धारा 26(2)(ii) का उल्लघंन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थीगणों की ओर से श्री संजीय राजवंशी अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छप्पन भोग)का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Rasogoola(Chhapan Bhog) bearing Code No. and Sr. No. EE-1012 Designated Officer cum The Joint Director (RH) Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur, is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छप्पन भोग)मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 42(2) के अनुसार खाद्य विश्लेषण के नमूना प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिन के भीतर नमूना विश्लेषण कर रिपोर्ट नमूना अभिहित अधिकारी को भेजे जाने का आज्ञापक प्रावधान है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक को 24.10.2016 को नमूना प्राप्ति हुआ था और नमूने की जांच 09.11.2016 को की गई थी। इस प्रकार धारा 42(2) के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। खाद्य विश्लेषक ने अधिनियम की धारा 46(3) के प्रावधानों के अनुसार नमूना प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट अभिहित अधिकारी को नहीं भेजी है और ना ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजी। अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार श्री विनोद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अहर्तताओं पूर्ण नहीं करते है। इनके द्वारा की गई समस्त कार्यवाही अवैध होने

अति. जिला कलक्टर 2
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

से परिवाद निरस्त योग्य है। अधिनियम की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकरण में जिस प्रयोगशाला में नमूने की जांच की वो प्रयोगशाला अधिकृत नहीं थी। प्रयोगशाला की रिपोर्ट शून्य है। अभिहित अधिकारी ने धारा 42(3) के प्रावधानों के अनुसार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अभियोजन की मंजूरी के लिए अपनी सिफारिश चौदह दिन के अन्दर खाद्य सुरक्षा आयुक्त को नहीं भेजी है। अधिनियम की धारा 3(1)(जेडएफ)(एल)(आई) के प्रावधानों के अनुसार नमूने में प्रयोगशाला ने जांच में कोई कृत्रिम सुरूचि कारक पदार्थ या रसायनिक परिवक्षी से युक्त नहीं पाया है। अतः प्रथम दृष्टया ही कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। अतः प्रारम्भिक आपत्तियों के जवाब में प्रार्थीगण को दोषमुक्त किया जावे, प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता के आपत्ति/जवाब का खण्डन करते हुवे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिकथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSSAI की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार नोटिफिकेशन की अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित अहर्ता पूर्ण करते है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजस्थान राज्य के समस्त कार्य क्षैत्र के लिए अधिसूचित एवं अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, जो केन्द्रीय दली, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन हे। जांच की प्रयोगशाला FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं जांच के लिए अधिकृत है। न्याय निर्णयन की कार्यवाही माननीय न्यायालय में नियमानुसार की गई है। इस कार्यवाही में एफएसएसए की धारा 77 के प्रावधानों का पालन किया गया है इसलिए धारा 42(3) के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/जवाब को खारिज करते हुए मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रसगुल्ला निर्मित एवं विक्रय करने के लिए एफएसएसए के प्रावधानों के अनुसार इनके विरूद्ध सख्त जुर्माने की कार्यवाही की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छप्पन भोग) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छप्पन भोग) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS./3078/Act/ 2016/750 दिनांक 09.11.16 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Rasogoola(Chhapan Bhog) bearing Code No. and Sr. No. EE-1012 Designated Officer cum The Joint Director (RH) Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur, is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छप्पन भोग) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

7. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पैक्ड खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छप्पन भोग) (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण एवं विक्रय के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत 20,000/– अखरे रूपये बीस हजार की शास्ति आरोपित की जाती है।

8. अप्रार्थीगण श्री अनिरूद्ध अग्रवाल (खाद्य कारोबारकर्ता), श्री रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल (भागीदार) श्री विनीत अग्रवाल (भागीदार), मैसर्स आर.डी. फूडस(छप्पन भोग) रानी बाजार बीकानेर द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य पदार्थ रसगुल्ला(छप्पन भोग) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) विनिर्माण एवं विक्रय किया जिसके लिये वे समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आरोपित शास्ति रू. 20000/– अखरे बीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को समान रूप से दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 समान रूप से आरोपित राशि रूप. बीस हजार का 1/4 शास्ति राशि यानि 5,000/–, 5,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 शास्ति राशि अदा करेगें।

9. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति राज्य अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक(ग्रामीण स्वास्थ्य) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर तथा अप्रार्थी पक्ष संख्या 1 ता 4 के प्राधिकृत प्रतिनिधि(अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा), बीकानेर

Scanned by CamScanner